



केनेडियन मानवीय अधिकार

भेदभाव क्या है?

भेदभाव से तात्पर्य है कि लोगों के साथ विभिन्न तरह से अस्वीकारात्मक अथवा विपरीतात्मक व्यवहार बिना किसी उपयुक्त कारणों के किया जावे।

कानून के अधिकार

केनेडियन मानवीय अधिकारों के कानून के अन्तर्गत कोई भी न्युक्तिकर्ता अथवा नौकरी देने वाला, जो राजकीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, को निम्नलिखित वर्जित आधारों पर गैर कानूनी विभेद करना असंवैधानिक है:

- मूलजाति
- राष्ट्रीय अथवा भिन्न देशीय उद्भव
- रंग
- धर्म
- आयु
- लिंग (इसमें गर्भावस्था एवं जन्म देने योग्य अवस्था सम्मिलित है)
- वैवाहिक स्थिति
- पारिवारिक स्थिति
- शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता (इसमें मादक पदार्थों पर निर्भरता सम्मिलित है)
- ऐसा अपराध जिसके लिये क्षमा प्रदान की जा चुकी हो
- पूर्वोक्त लिंग स्थिति¹

केनेडियन मानवीय अधिकारों के कानून के अन्तर्गत निम्नलिखित न्युक्तिकर्ताओं अथवा नौकरी प्रदान करने वालों के साथ काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संरक्षित है:

- राजकीय विभाग, एजेन्सियाँ एवं क्राउन निगम
- केनेडा पोस्ट
- राज्याधीन बैंक
- राष्ट्रीय विमान-समवाय
- अन्तरराज्यीय संचार एवं दूरभाष कम्पनियाँ
- अन्तरराज्यीय यातायात कम्पनियाँ
- अन्य राजकीय कानूनी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कम्पनियाँ जैसे कि कुछ निश्चित खनिज सम्बन्धी कार्यक्रम

सभी प्रदेशों एवं टेरिटरीज (राज्यों) के अपने कानूनी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इसी तरह के मिलते-जुलते भेदभाव प्रतिबन्धित कानून हैं।



केनेडियन मानवीय अधिकार समिति

केनेडियन मानवीय अधिकार समिति केनेडियन मानवीय अधिकार कानून को शासित करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि समान अवसर एवं बिना भेदभाव के सिद्धांत सभी राजकीय न्यायाधिकार में लागू किये गये हैं।

समिति:

- न्युक्ति एवं सेवाओं के विधान में भेदभाव की शिकायतों की जाँच करती है;
- पुरुष एवं स्त्रियों के समान रूप से किये जाने वाले कार्यों में वेतन के असमानता के अभियोग की शिकायतों की जाँच करती है;
- राजकीय कानूनी क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत न्युक्तिकर्ताओं का निरीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित करती है कि वे लोग स्त्रियों, प्रत्यक्ष अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासी और विकलांग लोगों को समान न्युक्ति के अवसर प्रदान करें;
- जनसाधारण को अधिनियम एवं समिति के कर्तव्य और कार्यवाहियों के बारे में अधिक जानकारी वृद्धि के लिये सूचना कार्यक्रमों का विकास एवं संचालन करती है।

अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिये, अपने निकटतम केनेडियन मानवीय अधिकार समिति के कार्यालय से सम्पर्क करें अथवा लिखें।

कार्यालयों की सूची

For more information, contact the regional office of the Canadian Human Rights Commission nearest you.

Atlantic/Atlantique

Halifax : (902) 426-8380
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax/Télécopieur : (902) 426-2685

Quebec/Québec

Montreal/Montréal : (514) 283-5218
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax/Télécopieur : (514) 283-5084

Ontario

Toronto : (416) 973-5527
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax: (416) 973-6184

Prairies

Winnipeg : (204) 983-2189
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax : (204) 983-6132

Pour plus de renseignements, communiquez avec le bureau de la Commission canadienne des droits de la personne de votre région :

Alberta and/et Northwest Territories/Territoires du Nord-Ouest

Edmonton : (403) 495-4040
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax/Télécopieur : (403) 495-4044

British Columbia/Colombie-Britannique and/et Yukon

Vancouver : (604) 666-2251
Toll Free/Sans frais : 1-800-999-6899
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax/Télécopieur : (604) 666-2386

National Capital/Capitale nationale

344 Slater Street, 8th Floor / 344, rue Slater, 8^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1E1
Phone/Téléphone : (613) 995-1151
Toll Free/Sans frais : 1-888-214-1090
TTY/ATS : 1-888-643-3304
Fax/Télécopieur : (613) 996-9661

Internet : www.chrc-ccdp.ca

E-mail/Courrier électronique : info.com@chrc-ccdp.ca

December/Décembre 1998